न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.
राजस्व वाद संख्याः 289/2019 दायर दिनाँक 06.12.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. ललिता देवी पुत्री तेजाराम पत्नी गोरूराम जाति जाट निवासी लोरोली खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील वादी

दिनाँक 03.01.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थीयां के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 171 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 204 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद आजवा में अवस्थित है। प्रार्थीयां का राजस्व रिकॉर्ड में नाम भुलवश ललितादेवी पुत्री तेजाराम के स्तीन पर नानी पुत्री तेजाराम गलत अंकित हो गया है। जबकि समस्त दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थीयां का नाम ललिता देवी दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत नाम नानी अंकित है।

प्रार्थना वादी है कि प्रार्थीयां के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 75 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 171 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 204 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद आजवा में प्रार्थीयां का नाम नानी के स्थान पर ललिता देवी पुत्री तेजाराम दर्ज किया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक 2226 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम ललिता देवी पुत्री तेजाराम जिसका आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि में वादी ललिता देवी पुत्री तेजाराम है। अतः वादी का नाम ललिता देवी है जो कि सही है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 289/2019 दायर दिनाँक 06.12.2019 निर्णय दिनाँक 03.01.2020 ललिता देवी बनाम तहसीलदार डीडवाना, वगैरा।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का ललिता देवी दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद वाके सरहद आजवा के खसरा नम्बर 75 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 171 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 204 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा में वादी का नाम नानी पुत्री तेजाराम के स्थान पर ललिता देवी पुत्री तेजाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.01.2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 289/2019 दायर दिनाँक 06.12.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. ललिता देवी पुत्री तेजाराम पत्नी गोरूराम जाति जाट निवासी लोरोली खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 03.01.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद वाके सरहद आजवा के खसरा नम्बर 75 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 171 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 204 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा में वादी का नाम नानी पुत्री तेजाराम के स्थान पर ललिता देवी पुत्री तेजाराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.01.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.01.11 14:06:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: